न्यायालय बईजलास मोनिका बलारा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :: 30/2016

1. सुश्री हीरामणी पुत्री शांतिलाल मुन्दड़ा आयु वयस्क निवासी बिछोर तहसील बेगूँ
2. गायत्री देवी पत्नी शांतिलाल मुन्दड़ा आयु वयस्क निवासी बिछोर, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज. ....वादीगण

बनाम

1. शांतिलाल मुन्दड़ा पिता भुरालाल जी मुन्दड़ा आयु वयस्क निवासी बिछोर तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान हाल निवासी 145 विद्युत नगर, भीलवाड़ा राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज. ......प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अनिल शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
श्री एस.पी. शर्मा
अधिवक्ता, प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः– 24.04.2017

निर्णय वाद अ0धा0 88–188 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से वाद पत्र अंतर्गत धारा 88–188 राज. काश्त. अधिनियम अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया :–

यह कि ग्राम खेड़ी पटवार हल्का खेड़ी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ में खाता संख्या 160 में निम्न कृषि आराजीयात स्थित है:– आराजी 28 रकबा 0.12 है0, 29 रकबा 0.78 है0, 30 रकबा 0.07 है0, 33 रकबा 0.25 है0, 36 रकबा 0.06 है0, 37 रकबा 0.20 है0, 38 रकबा 0.12 है0, 39 रकबा 0.11 है0, 40 रकबा 0.05 है0, 41 रकबा 0.20 है0, 42 रकबा 0.28 है0 कुल किता 11 रकबा 2.24 है0 स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या एक शांतिलाल के नाम 1/2 हिस्से से राजस्व अभिलेखों खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित है। इसी प्रकार खाता संख्या 161 में आराजी संख्या 35 रकबा 0.04 है0 किस्म आ.चा. स्थित है, जिसके लिए भी प्रतिवादी संख्या एक शांतिलाल के नाम 1/2 हिस्से से राजस्व अभिलेखों खातेदारी अधिकारों से अभिलिखित है, जिसके लिए नकल संवत् 2068 से 2071 की वादपत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक शांतिलाल के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

जड़ावचन्द
|
भुरालाल
|
शान्तिलाल
|
हीरामणी | कमलेश (फोत) | गायत्री देवी (पत्नी)

यह कि वादीया संख्या एक प्रतिवादी संख्या एक की पुत्री है व वादीया संख्या दो प्रतिवादी संख्या एक की पत्नी है, व वादपत्र में वर्णित आराजीयात हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभक्त पैतृक सम्पत्ति है जो पूर्वाधिकारी वादीया संख्या एक के पड़दादा जड़ावचन्द पिता छोगालाल जी महाजन के वक्त से चली आ रही है, जिसमें वादीया संख्या एक का जन्म से हक व अधिकार निहित है तथा प्रतिवादी संख्या एक व वादीया संख्या दो का पुत्र कमलेश का निधन हो गया है उसका भी पैतृक सम्पत्ति में हक बनता है जिस कारण वादीया संख्या दो का भी हक व हिस्सा निहित है तथा वादीयागण अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त लाभ ले रही है। प्रतिवादी संख्या एक का भी पैतृक सम्पत्ति में वादीयागण के समान 1/6 हिस्सा ही बनता है।

यह कि वादीयागण मूकबधिर है तथा जड़ावचन्द जी के निधन के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम अभिलिखित होने से प्रतिवादी संख्या एक के नाम 1/2 संपूर्ण हिस्सा अभिलिखित होने से प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमि को खुर्दबुर्द व विक्रय करने पर आमादा है, जबकि वादीया संख्या एक व दो जो कि मूकबधिर होकर निशक्त विशेष योग्यजन है जिनके हितों की रक्षा करना आवश्यक है तथा पैतृक अविभक्त सम्पत्ति में प्रतिवादी संख्या एक का 1/6 हिस्सा ही बनता है लेकिन राजस्व अभिलेखों में 1/2 हिस्सा गलत अभिलिखित होने से वादीयागणों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है व प्रतिवादी संख्या एक अन्य को हस्तांतरित करने पर आमादा है, जिससे वादीयागण को उक्त वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि में अपने 1/6–1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

यह कि वाद पत्र में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम अभिलिखित हो जाने से प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमि में दर्ज संपूर्ण 1/2 हिस्सा विक्रय करने का उपक्रम कर रहा है व धमकियाँ दे रहा है जिससे अगर प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमि को अन्य को विक्रय कर देता है तो वादीयागण अपने हिस्सों से महरूम हो जायेंगी जिससे न्यायहित में वादीयागण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या एक किसी भी प्रकार से हस्तांतरित न करें, न भार बढ़ावे, न विक्रय करे, न ये कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावें।

क्रमश : 2

यह कि वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादी दिनांक 01.01.2016 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त भूमि को विक्रय करने के लिए दलालों से संपर्क किया व वादीयागण को उक्त भूमि विक्रय करने की धमकी दी, तब पैदा होकर निरंतर जारी है।

वादीयागण उक्त वाद पत्र के जरिये निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते हैं :–

1. कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात की वादीया संख्या एक को 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार व वादीया संख्या दो को 1/6 हिस्से का काश्तकार खातेदार घोषित फरमाया जावे व राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कराया जावे व प्रतिवादी संख्या एक का भी 1/6 हिस्सा अंकित कराया जावे, तद्नुसार डिक्री फरमायी जावे।
2. कि वादीयागण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री फरमायी जावे कि वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या एक किसी भी प्रकार से हस्तांतरित न करे, न भार बढ़ावे, न विक्रय करे, न ये कृत्य स्वयं करे, न अन्य से करावे।
3. कि अन्य लाभप्रद संहिता जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के तहत न्यायालय उचित समझे दिलायी जावे।
4. कि वाद व्यय व वकील मेहनताना दिलाया जावे।

दावा बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर वकील श्री एस.पी. शर्मा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादीयागण द्वारा वर्णित हिस्सानुसार घोषणा कराये जाने हेतु सहमति दी है एवं इसमें कोई आपत्ति नहीं की है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में अंकित कर निवेदन किया कि ग्राम खेड़ी की आ.नं. 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42 एवं 35 में श्री शांतिलाल पि. भूरालाल का 1/2 हिस्सा बहैसियत खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, खातेदार जीवित है। वादीया अपना हक स्वयं सिद्ध करे। पत्रावली में जवाबदावा प्रतिवादीगण का आने के बाद निम्न तनकीयात कायम की गयी :–

1. आया कि मौजा खेड़ी प.ह. खेड़ी की आ.सं. 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 किता 11 कुल रकबा 2.2400 है0 भूमि वादीगण की पैतृक होने से वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व आ.चा. संख्या 35 रकबा 0.04 है0 में भी 1/6–1/6 हिस्सा घोषित करा अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारी हैं? .... वादीगण
2. आया कि वादग्रस्त आराजीयात कीता 11 रकबा 2.2400 है0 व आ.चा. भूमि में खातेदार शांतिलाल पिता भूरालाल का 1/2 हिस्सा दर्ज होकर खातेदार जीवित होने से वादीगण अपना अधिकार स्वयं सिद्ध करें? ... प्रतिवादी सं.2/सरकार
3. दादरसी?

पत्रावली में तनकी कायम किये जाने के बाद साक्ष्य वादीयागण में शपथ–पत्र गायत्री देवी पत्नी शांतिलाल मुन्दड़ा एवं सुश्री हीरामणी पुत्री शांतिलाल मुन्दड़ा तथा घीसालाल पिता रूपा गमेरिया निवासी बिछोर द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर दावा अनुसार घोषणा किये जाने हेतु अपनी सहमति दी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी अपने जवाब में अंकित किया है कि वादीयागण अपना हक स्वयं सिद्ध करें एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना जाकर पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया। वादीयागण ग्राम खेड़ी पटवार हल्का खेड़ी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ में खाता संख्या 160 की आराजीयात संख्या 28 रकबा 0.12 है0, 29 रकबा 0.78 है0, 30 रकबा 0.07 है0, 33 रकबा 0.25 है0, 36 रकबा 0.06 है0, 37 रकबा 0.20 है0, 38 रकबा 0.12 है0, 39 रकबा 0.11 है0, 40 रकबा 0.05 है0, 41 रकबा 0.20 है0, 42 रकबा 0.28 है0 कुल किता 11 रकबा 2.24 है0 स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या एक शांतिलाल के नाम 1/2 हिस्से से राजस्व अभिलेखों खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित है। इसी प्रकार खाता संख्या 161 में आराजी संख्या 35 रकबा 0.04 है0 किस्म आ.चा. स्थित है, जिसके लिए भी प्रतिवादी संख्या एक शांतिलाल के नाम 1/2 हिस्से से राजस्व अभिलेखों खातेदारी अधिकारों से अभिलिखित है, जिसके अनुसार वादीया संख्या एक 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार व वादीया संख्या दो 1/6 हिस्से की काश्तकार खातेदार घोषित कराये जाने के साथ ही प्रतिवादी संख्या एक का भी 1/6 हिस्सा अंकित किये जाने की घोषित कराने की वादीयागण अधिकारी पायी जाती हैं।

अतः वाद वादी अ0धा0 88–188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। ग्राम खेड़ी पटवार हल्का खेड़ी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ में खाता संख्या 160 की आराजीयात संख्या 28 रकबा 0.12 है0, 29 रकबा 0.78 है0, 30 रकबा 0.07 है0, 33 रकबा 0.25 है0, 36 रकबा 0.06 है0, 37 रकबा 0.20 है0, 38 रकबा 0.12 है0, 39 रकबा 0.11 है0, 40 रकबा 0.05 है0, 41 रकबा 0.20 है0, 42 रकबा 0.28 है0 कुल किता 11 रकबा 2.24 है0 भूमि एवं खाता संख्या 161 में आराजी संख्या 35 रकबा 0.04 है0 किस्म आ.चा. में वादीया संख्या 1 का हिस्सा 1/6 एवं वादीया संख्या 2 का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्तानुसार वादीयागण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या एक की सहमति से घोषणा होने से स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में कोई दाद दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी),बेगूँ